डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.

1. राजेन्द्रसिह पुत्र स्व0 गजनसिह जाति कुम्हार निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम्

1. नसीबकौर पत्नी स्व0 गजनसिह जाति कुम्हार निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीया

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री करनैलसिह वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीर वर्मा प्रतिवादीया मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि स्व0 गजनसिह के नाम से चकनं0 3 केएचआर के खातासं0 16/12 जमाबन्दी संवत 2071 ता 74 में कुल 1.012 है0 नहरी मय गै0मु0 कृर्षि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 3 केएचआर के खातासं0 16/12 में से गजनसिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 3-4-19 को जारी किया गया।

( मीनू वर्मा )
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धाराः–88 आरटीए
प्रकरण संख्याः– 153/2018

1. राजेन्द्रसिह पुत्र स्व0 गजनसिह जाति कुम्हार निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादी

बनाम्

1. नसीबकौर पत्नी स्व0 गजनसिह जाति कुम्हार निवासी साबुआना तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ। प्रतिवादीया

उपस्थित–श्री करनैलसिह अधिवक्ता वादी
श्री महावीर प्रसाद वर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीया

निर्णय दिनांक :–

वादी राजेन्द्रसिह ने प्रतिवादीया के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि वादी के पिता व प्रतिवादीया के पति स्व0 गजनसिह के नाम से चकनं0 3 केएचआर के खातासं0 16/12 जमाबन्दी संवत 2071 ता 74 में कुल 1.012 है0 नहरी मय गै0मु0 कृर्षि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी के पिता व प्रतिवादीया के पति स्व0 गजनसिह का स्वर्गवास हो चुका है जिसके जायज व कानूनी वारीसान वादी व प्रतिवादीया ही है। वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी में प्रतिवादीया द्वारा अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक त्याग अर्सा कदीम से किया हुआ है व उपरोक्त आराजी स्व0 गजनसिह की मृत्यू के पश्चात वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है व वादी ही उपरोक्त आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाता चला आ रहा है।

वादपत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से वादी के खातेदार अधिकारों का हनन होता है इसलिए वादी स्व0 गजनसिह के नाम से अंकित वादपत्र की दफा 2 में दर्ज कृर्षि भूमि अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाकर चकनं0 3 केएचआर के खाता सं0 16/12 में से गजनसिह का नाम कलमजन करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादीया को वादपत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम अंकन करवाने व खाता हाजा मे से स्व0 गजनसिह का नाम कलमजन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीया कतई इन्कार हो गयी। बस यही बिनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीया को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीया द्वारा अपना राजीनामा पेश किया जाकर निवेदन किया कि हम पक्षकारान का आपस मे राजीनामा हो गया है। हम पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है। वादपत्र की दफा 2 में दज्र आराजी पैतृक सम्पति है। वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी का कब्जा वादी के पास है व वादी ही उक्त आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाता चला आ रहा है। मुझ प्रतिवादी द्वारा अपने हक व हिस्सा की आराजी का मौखिक रुप से हक त्याग किया हुआ व मैं कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती हूँ। इसलिए वादपत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन कर चकनं0 3 केएचआर के खाता सं0 16/12 में से गजनसिह का नाम कलमजन

Scanned by CamScanner

किया जाता है तो मुझ प्रतिवादीया को कोई उज्र व एतराज नही है। हम पक्षकारान राजीनामा से सहमत है। राजीनामा शामिल मिसल किया गया।

वकील वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादीया एक ही परिवार के सदस्य है।वादी के वाद को प्रतिवादीया ने अपने राजीनामा में मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस सुनी गई। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। वादी द्वारा जमाबन्दी, गजनसिह का मृत्यू प्रमाण पत्र व वारीस प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये गये। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी गजनसिह वादी के पिता के नाम से दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीया एक ही परिवार के सदस्य है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने योग्य है।

## क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि स्व0 गजनसिह के नाम से चकनं0 3 केएचआर के खातासं0 16/12 जमाबन्दी संवत 2071 ता 74 में कुल 1.012 है0 नहरी मय गै0मु0 कृर्षि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 3 केएचआर के खातासं0 16/12 में से गजनसिह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 3-4-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( मीनू वर्मा )
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner